209

न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

---

1. दुर्गाप्रसाद तनय विन्दा अहिरवार निग. 2751-I/16

सा. पड़रहा तह. अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

2. रामलाल तनय श्यामलाल ब्राम्हण

निवासी पन्ना रोड, छतरपुर म.प्र.

3. श्रीमति सरिता पत्नि सियाराम वर्मा

4. श्रीमति शीला पत्नि रामकुमार वर्मा

दोनों निवासी अम्बेडकर नगर, पन्ना रोड, छतरपुर म.प्र.

.. निगरानीकर्तागण

// विरूद्ध //

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959.

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार महोदय छतरपुर के रा.प्र.क्र. 37/अ63/11/12 में पारित आदेश दिनांक 16.8.13 से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न प्रार्थना है -

1:- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमना प्रसाद तनय सुखनंदी पाठक को दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत पात्रताहोने के आधार पर आराजी नंबर 68/1 रकबा 1.587 हैक्टेयर मौजा गुरैया तह. व जिला छतरपुर के प्र.क्र.- 60/अ-19/1987-88 आदेश दिनांक 4.4.1988 के तहत भूमि स्वामी हक पर पट्टा प्राप्त हुआ था । उक्त आशय की प्रविष्टि खसरा पांचशाला में वर्ष 1987-88 पर दर्ज है ।

..2..

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2751–एक/16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16.8.16	आवेदकगणा की और से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक की और से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित. उभय पक्षो के अधिवक्तागण द्वारा निगरानी की ग्राह्यता एवं धारा–5 के आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किये। धारा–5 का आवेदन समाधान कारक होने के कारण मान्य किया जाता है। 2– यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16–08–2013 से परिवेदित होकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे कमांक 68/1 रकबा 1.587 हेक्टेयर स्थित मौजा गुरैया तहसील व जिला छतरपुर का पटट्ा राजस्व प्रकरण कमांक 60/अ–19/1987–88 में मध्यप्रदेश दखल रहित भूमि अधिनियम 1984 के अन्तर्गत दिनांक 4–4–1988 को जमना प्रसाद के हित में हुआ था. उक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई थी उक्त पटटे की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नही दी गयी. पंचायत चुनाव में रंजिश के कारण आवेदकों को परेशान करने के लिये गांव के ही एक व्यक्ति ने अभिलेख सुधार हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु समझौता हो जाने के कारण तहसीलदार के न्यायालय मे दिनांक 26–12–2012 को प्रकरण वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया. आवेदकगण पटट्ाधारी जमना प्रसाद से उक्त भूमि	

पंजीकृत विकय पत्र के जर्ये दिनांक 18-07-2012 को कय की है. कय करने के पश्चात आवेदकगण का नामान्तरण पंजी कमांक 66 वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 29-9-2012 को किया गया. आवेदकगण को तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरण की कार्यवाही की कोई जानकारी नही थी. तहसील न्यायालय ने प्रकरण वापसी के आवेदन पत्र पर कोई विचार किये बिना तथा आवेदकगण को कोई सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना विवादित आदेश पारित किया गया है. आवेदकगण आदेश पारित करने के दिनांक 16-08-21013 को भूमि के हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार थे क्योंकि उनका नाम राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट हो चुका था. तहसील न्यायालय को 1984 के अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही था. तहसीलदार द्वारा विवादित आदेश द्वारा भूमि को मध्यप्रदेश शासन घोषित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नही किया है. उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही है. आवेदक एक सदभाविक केता है तथा पटटाधारी जमना प्रसाद को भूमि विकय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था. इस कारण से तहसीलदार का विवादित आदेश दिनांक 16-08-2013 अवैध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है. अतः यह निगरानी स्वीकार की जाये.

3-शासकीय पैनल अभिभाषक ने तहसीलदार की कार्यवाही एवं आदेश को स्थिर रखने एवं निगरानी निरस्त करने की मांग की.

4- उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन करने के पश्चात में यह पाता हूँ कि प्रकरण में विवादित भूमि का पटटा जमना प्रसाद को वर्ष 1988 में दखलरहित भूमि अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किया गया था. उक्त पटटे के विरूद्ध लगभग 14 वर्ष पश्चात प्रारम्भ की गयी कार्यवाही मे शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत को वापस लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत

किया गया था. प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण का नाम नामान्तरण पंजी कमांक -66 में पारित ओदश दिनांक 29-9-2012 को किया गया था को आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 16-08-2013 को भूमि को शासन की घोषित किया गया है, इस कारण से तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है. प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने वर्ष 1988 में हुए पटटे को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के निरस्त करने में एवं भूमि को शासकीय घोषित करने में अपने विचाराधिकार उल्लंघन किया है. इस कारण से भी तहसील न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही होना पाता हूँ., प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि पटटाधारी को भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर प्राप्त हुई थी उसके द्वारा उक्त भूमि को 10 वर्ष के पश्चात विकय किया गया है जिससे यह प्रमाणित पाता हूँ कि उसके द्वारा पटटे की किसी शर्त का उल्लंघन नही किया है. विधि का यह सर्वमान्य नियम है कि केता को वही अधिकार प्राप्त होते है जो विकेता को थे. उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 16-08-2013 निरस्त किया जाता है. तथा नामान्तरण पंजी कमांक 66 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2012 के अनुसार आवेदकगण का नामान्तरण आदेश स्थिर रखा जाता है, तथा आवेदकगण का नाम उक्त भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है. तदनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य